(5) मतों की संख्या बराबर हो जाने के मामले में सहायक आयुक्त द्वारा जैसा वह उचित समझे लॉटरी के द्वारा चुनाव परिणाम का निर्णय लिया जाएगा ।

59. द्वीप परिषद की कार्यपालक शक्तियाँ, द्वीप परिषद पर इस विनियम के तहत लागू कर्त्तव्यों के निर्वहन का उत्तरदायित्व तथा द्वीप परिषद में संकल्प पूरा करने का उत्तरदायित्व चीफ कैप्टेन के पास निहित है। द्वीप परिषद की कार्यपालक शक्तियाँ

60. (1) जब तक कि तत्समय लागू किसी विधि के अंतर्गत शीघ्र द्वीप परिषद का विघटन नहीं होता है, इसके प्रथम बैठक की तिथि से पाँच वर्ष तक के लिए कार्य करेगा और यह अवधि इससे अधिक नहीं होगी । द्वीप परिषद की अवधि

(2) द्वीप परिषद का गठन करने हेतु चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी –

(क) उप–धारा (1) में इसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व;

(ख) इसके विघटन की तिथि से छह माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व;

बशर्तें कि जहाँ शेष अवधि के लिए विघटित द्वीप परिषद को छह माह से कम अवधि तक कार्य करना होता है, तो द्वीप परिषद को गठित करने के लिए इस उप–धारा के अंतर्गत कोई चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा ।

(3) किसी द्वीप परिषद के विघटित होने पर इसकी अवधि की समाप्ति से पूर्व गठित द्वीप परिषद को केवल शेष अवधि तक के लिए कार्य करेगा जिसके लिए उप–धारा (1) के अधीन विघटित द्वीप परिषद को करना होता था, यदि वह विघटित नहीं हो गया होता ।

61. (1) द्वीप परिषद की प्रथम बैठक के तुरंत बाद इसके प्रत्येक सदस्य प्रथम अनुसूची में दिए गए प्रपत्र में सहायक आयुक्त के समक्ष पद की शपथ लेंगे । पद की शपथ

(2) द्वीप परिषद का कोई भी सदस्य किसी बैठक की कार्यवाही में वोट नहीं दे सकेगा अथवा भाग नहीं ले सकेगा और न ही उसे द्वीप परिषद द्वारा गठित किसी समिति का सदस्य बनाया जाएगा, यदि उसने इसकी शपथ न ली हो ।

62. चीफ कैप्टेन उपायुक्त को लिखित सूचना देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है लेकिन जब तक इसे उपायुक्त द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, यह प्रभावी नहीं माना जाएगा । पद से त्यागपत्र

63. (1) 15 दिनों की नोटिस देने के पश्चात् द्वीप परिषद का कोई भी सदस्य चीफ कैप्टेन के विरूद्ध "अविश्वास का प्रस्ताव" ला सकता है। चीफ कैप्टेन के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव

(2) अविश्वास प्रस्ताव लाने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर, इस पर विचार–विमर्श करने तथा निर्णय लेने हेतु द्वीप परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी ।

(3) यदि द्वीप परिषद की कुल सदस्यता में से अधिकतर सदस्यों द्वारा "अविश्वास प्रस्ताव" लाया गया हो, तो द्वीप परिषद उस द्वीप के सभी गाँवों की साधारण निकायों से चीफ कैप्टेन को पद से हटाने के लिए सिफारिश करेगा ।

(4) उप–धारा–3 के अंतर्गत की गई सिफारिशों के प्राप्त होने पर सभी गाँवों की साधारण निकायों के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी । जिसके लिए ग्राम साधारण निकायों के कुल सदस्यों का 1/5 संख्या होने से बैठक के लिए कोरम पूरा होगा और सिफारिशों को उपस्थित दो तिहाई सदस्यों द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी और मतदान किया जाएगा ।

(5) उप–धारा–4 के अंतर्गत सिफारिश का अनुमोदन प्राप्त होने पर चीफ कैप्टेन सिफारिश अनुमोदित होने की तिथि से अपना पदभार छोड़ देगा ।